एकल पीठ

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>दाण्डिक अपील 413/2005</u>

अपीलार्थी(कारागार में) :

मंगियाराम, आत्मज तेजुराम बोगा, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी घोरगांव, थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपील</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>दाण्डिक अपील संख्या 413/2005</u>

समक्ष: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

मंगियाराम

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक दीक्षित

राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला एवं श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 23 जून 2006 को पारित किया गया)

यह अपील श्रीमती निर्मला सिंह, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा विशेष प्रकरण संख्या 115/2004 में पारित निर्णय दिनांक 5.3.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके पश्चात 1985 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(ख)(दो) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000/- रुपये

के अर्थदण्ड, और अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया गया था।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का वृत्तांत यह है कि उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभि.सा. 4), थाना प्रभारी, पुलिस थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी के ग्राम घोड़ा स्थित उसके घर में प्रतिबंधित गांजा है। गुप्त सूचना को प्रदर्श पी.1 के अनुसार लिपिबद्ध करने के पश्चात, थाना प्रभारी टी. खाखा आरक्षक किशोर कुमार (अभि.सा. 1), पंच साक्षियों सतीश दुबे (अभि.सा. 2) एवं संघरत्न के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि संघरत्न उस वाहन का स्वामी था जिससे तलाशी दल ग्राम घोड़ा गया था और वाहन सतीश दुबे (अभि.सा. 2) द्वारा चलाया जा रहा था । ग्राम घोड़ा पहुँचने के पश्चात, थाना प्रभारी टी. खाखा ने आवश्यक विधिक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद अपीलार्थी के घर की तलाशी ली और अपीलार्थी के घर से 3.200 ग्राम प्रतिबंधित गांजा बरामद किया । मुस्तफा खान (अभि.सा. 3) ने प्रदर्श पी.7 के अनुसार गांजे को तोला और उसे 3.200 ग्राम पाया । गांजे की उक्त मात्रा में से प्रत्येक 100 ग्राम के दो नमूने लिए गए और उन्हें सीलबंद किया गया तथा शेष गांजे को भी सीलबंद कर दिया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि गांजे को मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपा गया था या यह पता चले कि थाना प्रभारी ने ऐसे सुपुर्दगी के समय नमूना पैकेटों और शेष गांजे पर अपनी सील लगाई थी । विधि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) को परीक्षण हेतु दोनों नमूना पैकेट दिनांक 18.10.2004 को प्राप्त हुए । यह पाया गया कि नमूना पैकेटों पर सील की छाप "**PS/MPR**" थी परीक्षण के पश्चात, यह अभिमत दिया गया कि दोनों नमूना पैकेटों में गांजा था । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध 1985 के अधिनियम की धारा 20(ख)(दो) के अधीन अभियोजन चलाया गया ।

3. अपीलार्थी ने अपराध से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और प्रतिवाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अभियोजन ने आरक्षक किशोर कुमार (अभि.सा. 1), सतीश दुबे (अभि.सा. 2), मुस्तफा खान (अभि.सा. 3) और सहायक उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभि.सा. 4) की परीक्षा कराई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कण्डिका-1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध और दण्डित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक दीक्षित ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य 1985 के अधिनियम की धारा 20(ख)(दो) के अंतर्गत अपीलार्थी के अपराध को स्थापित नहीं करते हैं । यह तर्क दिया गया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है कि गांजा अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से जब्त किया गया था । यह आगे तर्क दिया गया कि न तो नमूना पैकेटों को सील करने के लिए उपयोग की गई सील की अलग से नमूना छाप तैयार की गई थी और न ही ऐसी सील विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) भेजी गई थी। 1985 के

अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ था जिसके कारण अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि विरुद्ध थी । यह भी तर्क दिया गया कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित नमूना पैकेटों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि न तो मालखाना रजिस्टर प्रस्तुत किया गया और न ही आरक्षक नरेश मोहले, क्रमांक 545, जो नमूनों को एफ.एस.एल. ले गया था, की अभियोजन द्वारा परीक्षा कराई गई । पुलिस अधीक्षक का वह ज्ञापन, जिसके माध्यम से नमूनों को एफ.एस.एल. भेजा गया था, भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत और सिद्ध नहीं किया गया था । इन आधारों पर यह प्रार्थना की गई कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिए हैं ।

5. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने विशेष प्रकरण संख्या 115/2004 के अभिलेख का परिशीलन किया है । वर्तमान प्रकृति के प्रकरण में, यह अभियोजन का अनिवार्य कर्तव्य है किवह स्थापित करे कि गांजा अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से जब्त किया गया था । सहायक उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभि.सा. 4) ने यह नहीं बताया कि अपीलार्थी से किस स्थान से गांजा जब्त किया गया था । उन्होंने यह परिसाक्ष्य भी नहीं दिया कि गांजा अपीलार्थी के घर से जब्त किया गया था । मुस्तफा खान (अभि.सा. 3) ने यह कहकर अभियोजन की कहानी का और अधिक खंडन किया कि

गांजा अपीलार्थी के घर के सामने एक नीली प्लास्टिक की थैली में रखा गया था । सतीश दुबे (अभि.सा. 2) ने कण्डिका 6 में बिल्कुल अलग संस्करण दिया है और कथन किया है कि जिस स्थान से सामग्री बरामद की गई थी, वह एक अनाज की दुकान थी जहाँ लोग अक्सर आते-जाते थे । आरक्षक किशोर कुमार (अभि.सा. 1) का एकमात्र यह साक्ष्य कि अपीलार्थी के घर की तलाशी ली गई और वहां से गांजा बरामद हुआ, इस प्रकार पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाता है इस प्रकार, अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि गांजा अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से बरामद किया गया था ।

6. 1985 के अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध में, अभियोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि वह सूक्ष्मता से सिद्ध करे कि नमूना पैकेटों पर लगाई गई सीलें विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) पहुँचने तक अक्षुण्ण थीं । 1985 के अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत, अभियोजन के लिए यह स्थापित करना भी आवश्यक है कि थाना प्रभारी ने जब्त प्रतिबंधित गांजा और सीलबंद नमूना पैकेटों को मालखाने में सौंपने से पहले, नमूना पैकेटों और शेष गांजे पर अपनी सील लगाई थी । इस संबंध में साक्ष्य का एक अंश भी मौजूद नहीं है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूना पैकेटों पर पाई गई सील की छाप दिखाई देती है जो यह नहीं दर्शाती कि वह थाना मानपुर के थाना प्रभारी की सील है । अभियोजन ने न तो उस मालखाना मुहर्रिर की परीक्षा कराई जिसे संपत्ति सौंपी गई थी और न ही मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की । पुलिस अधीक्षक का वह ज्ञापन, जिसके माध्यम से नमूना पैकेट एफ.एस.एल. भेजे गए थे, भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत और सिद्ध नहीं किया गया था । अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि किस तिथि को मालखाने से नमूना पैकेट निकाले गए और आरक्षक नरेश मोहले, क्रमांक 545 को सौंपे गए, जो नमूना पैकेटों को एफ.एस.एल. ले गया था । आरक्षक नरेश मोहले की भी अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई थी । अतः, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से पूर्व नमूना पैकेटों के साथ छेड़छाड़ की गई हो ।

7. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह भी पता चलता है कि जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री अर्थात् 3 किलोग्राम गांजा भी विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था । स्वतंत्र साक्षी संघरत्न की भी अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई, जो अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष को न्यायसंगत बनाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर उसकी समग्रता में विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं:

(क) अभिलेख पर ऐसा कोई विधिक आधार मौजूद नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिबंधित गांजा अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से जब्त किया गया था ।

(ख) इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) द्वारा परीक्षित नमूना पैकेटों के साथ छेड़छाड़ की गई हो ।

(ग) मालखाना रजिस्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा एफ.एस.एल. को भेजे गए ज्ञापन का प्रस्तुत न किया जाना, स्वतंत्र साक्षी संघरत्न और आरक्षक नरेश मोहले, क्रमांक 545 की परीक्षा न कराया जाना, संपूर्ण अभियोजन कथा को संदिग्ध बना देता है ।

(घ) 1985 के अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है ।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उभरने वाले उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि 1985 के अधिनियम की धारा 20(ख)(दो) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

9. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है । 1985 के अधिनियम की धारा 20(ख)(दो) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**